

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....3226

प्रेषक,

सुहर्ष भगत, भा० प्र० से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता,
पटना।
बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय।

पटना दिनांक : 21/09/2026

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर LPA Case No 835/2025 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में मानदेय भुगतान हेतु 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये मात्र एवं CWJC No 8955/2019 में पारित आदेश से उदभूत MJC No 173/2020 के आलोक में कुल मो० 4,73,020/- (चार लाख तिहत्तर हजार बीस) रुपये मात्र तथा अपर समाहर्ता, पटना द्वारा एजेंसी मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर, भोपाल को भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु मो० 46,585/- (छियालीस हजार पाँच सौ पच्चासी) रुपये मात्र का भुगतान हेतु कुल 8,69,605/- (आठ लाख उनहत्तर हजार छः सौ पाँच) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता

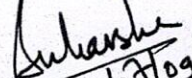
है :-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	मद का नाम/ईकाई कोड	अधियाचित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	मजदूरी (02 01)	104945	
2		कार्यालय व्यय (13 01)	368075	
3		सविदा सेवाएँ (28 02)	350000	
4	समाहर्ता, पटना	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28 04)	46585	
कुल :-			869605	

(आठ लाख उनहत्तर हजार छः सौ पाँच) रुपये

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 706 दिनांक 26.02.2026 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40- 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की माँग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
11. यह आवंटनादेश बन्दोबस्त कार्यालय बेगूसराय के पत्रांक 1676 दिनांक 05.09.2026 एवं पत्रांक 1749 दिनांक 09.09.2026 तथा अपर समाहर्ता, पटना के पत्रांक 8181 दिनांक 05.09.2026 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

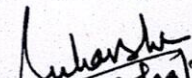
विश्वासभाजन


(सुहर्ष भगत) 21/09/26
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक : 21/09/26

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026..... 3226

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक 21/09/26

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....³²²⁶ पटना, दिनांक ^{21/09/26} :-

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Subhash
निदेशक 21/09/26

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....³²²⁶ पटना, दिनांक ^{21/09/26} :-

प्रतिलिपि:- सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Subhash
निदेशक 21/09/26

भू-अभिलेख एवं परिमाप